SUMMARY TRIAL SECTION 263 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE,1973

In the court of **JAI PRATAP CHIDAR JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS**

Harsud Khandwa (M.P.) Case No. S.4.M./551 of **2022** Complaint of made on 17/10/22

Name and address of the complaint म.प्र. राज्य व्दारा आरक्षी केन्द किल्लौद विरुद्ध श्याम भराड़ा

Name parentage cast and address of accused

श्याम भराड़ा पिता लक्ष्मण उम्र 45 निवासी ग्राम गंभीर थाना किल्लौद

The offence complained of and date of its alleged commission

तुम्हारे विरुद्ध यह अभियोग है कि दिनांक 10/10/22 को समय 18/00 बजे थाना किल्लौद परिक्षेत्र में स्थान आरोपी के घर के आगे ग्राम गंभीर पर अपने अधिपत्य में २० लीटर महुआ शराब शराब कीमत २०००/- रुपये अवैध रुप से बिना लायसेंस के रखे पाये गयें ।

तुम्हारा उक्त कृत्य धारा 34(1)(क) **मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम** के तहत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है । आप अपराध स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हों ।

जय प्रताप चिड़ार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद

the plea of the accussed and his examaination are

आरोपी का अभिवाकः–

आरोपी को अपराध विवरण पढकर सुनायें, समझाये जाने पर उसका कहना है किः–

अपराध स्वीकार

श्याम
हस्ताक्षर // आरोपी //

जय प्रताप चिड़ार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद

The offence proved[if any and in case (d) clause (e) clause (f) clause of sub swction (I) of secton 260 the velue of the property in respected of which the offebce has been committed

=निर्णय=

(आज दिनांक 17/10/2022 को घोषित किया गया)

01– अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर यह न्यायालय अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध में दोषी पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराता हैं ।

02– अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए यह न्यायालय अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं अर्थदण्ड रूपयें 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास प्रथक से भुगताया जावे ।

03– प्रकरण में जप्तशुदा कच्ची महुआ शराब /देशी शराब/नष्ट की जावे । बीयर/अंग्रेजी शराब आबकारी विभाग को नियमानुसार वापस लौटाई जावें । जप्तशुदा वाहन पंजीकृत स्वामी को लौटाया जावे । अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

जय प्रताप चिड़ार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद
जिला–खण्डवा(म.प्र)

जय प्रताप चिड़ार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद
जिला–खण्डवा(म.प्र)